Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- अलवर में आरोपी रामहेत बैरवा हाल प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर 12,000/— रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **रामहेत बैरवा प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर** को 12000/— रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी अलवर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा उसकी धर्मपत्नी के नाम से रेबारपुरा मोहल्ले धोला खोजा की कोठी राजगढ़ में वर्ष 2020 में रजिस्ट्री से 242 वर्गगज प्लाट खरीदा था करीब एक माह पूर्व उक्त प्लॉट का पट्टा बनवाने के लिये मैने नगर पालिका राजगढ़ मे फाईल लगाई थी। नगर पालिका द्वारा उक्त पट्टे के क्रम में दिनांक 3.10.2025 को 75978/— रूपये पट्टा राशि जमा कराने पर भी मेरा पट्टा नही बनाने पर दिनांक 9.10.2025 को नगर पालिका से संबंधित बाबू रामहेत बाबू से मिला और मेरी पत्नी के नाम पट्टा जारी करने के संदर्भ में बातचीत की तो रामहेत बैरवा प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर ने मुझसे पट्टा जारी करने के लिये 10,000/— रूपये तथा उसकी पत्नी के दुसरे प्लॉट के कनवर्जन के आदेश जारी करने हेतु 5,000/— रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर आरोपी द्वारा 3000/— रूपये दिनांक 10.10.2025 को रिश्वत के मांगकर प्राप्त किये गये। दिनांक 10.10.2025 को शिकायत का सत्यापन करवाये जाने पर आरोपी द्वारा परिवादी के एक प्लाट का पट्टा जारी करने के लिये 10,000/— रूपये तथा दुसरे प्लॉट के कनवर्जन के आदेश जारी करने हेतु 2000/— रूपये की शेष राशि कुल 12,000/— रूपये रिश्वत के मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया, जिस ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आज दिनांक 13.10.2025 को आरोपी रामहेत बैरवा से उक्त मांग के कम में 12,000/— रूपये की रिश्वत राशि परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने पर आरोपी से रिश्वत की राशि आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब से बरामद की गई।

जिस पर एसीबी रेंज जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार** टीएलओ द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी को परिवादी से **12,000/— रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

आरोपी से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।